संलग्नक-04

(5)

कार्यवाही विवरण

मे0 ए.सी.सी. लिमिटेड के पथरिया लाईम स्टोन माईन लीज–1, ग्राम–पथरिया तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार के तहत लाईम स्टोन माईन क्षमता–0.6 मिलियन टन/वर्ष से 0.84 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज एरिया–36.001 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई की कार्यवाही विवरण।

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत मे0 ए.सी.सी. लिमिटेड के पथरिया लाईम स्टोन माईन लीज–1, ग्राम–पथरिया तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार के तहत लाईम स्टोन माईन क्षमता–0.6 मिलियन टन/वर्ष से 0.84 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज एरिया–36.001 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों नवभारत, रायपुर दिनांक 10.02.2015 एवं टाईम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली दिनांक 10.02.2015 लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोकसुनवाई आज दिनांक 13 मार्च 2015 दिन शुक्रवार को पुर्वान्ह 11:00 बजे अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में पूर्व माध्यमिक शाला, पथरिया के सामने का खेल मैदान, ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार केन्द्रीय पर्यावरण भवन,लिंक रोड नं.–3,ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल–16, जिला कलेक्टर कार्यालय दुर्ग, जिला पंचायत कार्यालय दुर्ग, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय, दुर्ग, नगर पालिका परिषद, अहिवारा, जिला–दुर्ग, नगर पंचायत धमधा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत पथरिया, जिला–दुर्ग ,ग्राम पंचायत मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत नंदिनी खुंदिनी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत पोटिया, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत परसदा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत सगनी, जिला–दुर्ग,. ग्राम पंचायत कोडिया, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत पिटौरा , जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत गिरहोला, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत सेमरिया, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत हरदी, जिला–दुर्ग, मुख्यालय छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छ.ग. गृह निर्माण मंडल, कालोनी, कबीर नगर, रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में रखवाई गई थीं। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 13 मार्च 2015 दिन शुक्रवार पुर्वान्ह 11:00 बजे सुनील जैन, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में पूर्व माध्यमिक

(6)

शाला, पथरिया के सामने का खेल मैदान, ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम सुनील जैन, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा पूर्वान्ह 11 बजे दिन शुक्रवार को लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत अजय गेडाम, क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया पर प्रकाश डाला गया। इसके पश्चात् उद्योग प्रतिनिधि श्री एच. एस.राठौर, एक्टिंग डायरेक्टर, प्लांट मे0 ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल सीमेण्ट वर्क्स जामुल जिला–दुर्ग द्वारा परियोजना के संबंध में जानकारी के साथ ही माइन के संबंध में तकनीकी विवरण, जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन एवं वृक्षारोपण आदि से जन सामान्य को अवगत कराया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री जगत राम, पथरिया, जिला–दुर्ग ।**
➢ गांव के कृष्ण मंदिर में भागवत कराया जाये।

2. **श्री गंगाराम साहू, पथरिया, जिला–दुर्ग ।**
➢ लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

3. **श्रीमती उषा केसरा, ग्राम–मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग ।**
➢ ए.सी.सी. कंपनी द्वारा गांव में सिलाई प्रशिक्षण का काम 2008 से चालू कराया गया है, जिसमें गांव के सभी महिलायें/लड़कियां नियमित रूप से सिलाई सीख रही हैं। हमारा पूरा सहयोग कंपनी दे रही है।
➢ ए.सी.सी. कंपनी द्वारा गली/सड़क का सीमेण्टीकरण कराया जाये।
➢ ए.सी.सी. कंपनी मेड़ेसरा गांव को आदर्श गांव बनाये। हमें साथ लेकर चले।
➢ गांव में पानी की व्यवस्था कराई जाये जैसे–नल, बोरिंग आदि।

4. **श्रीमती पुष्पा राजपूत, जनपद सदस्य, मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग ।**
➢ महिला शक्तिकरण के लिये शासन द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। साथ ही ए.सी.सी. द्वारा भी अनेक कार्यक्रम आयोजित कराया जाता है और सहयोग प्रदान किया जा रहा है। भविष्य में भी विकास कार्यो में ए.सी.सी. का सहयोग प्राप्त होता रहे ऐसी आशा करते है।

5. **श्री लक्ष्मीनारायण चक्रधारी, पथरिया, जिला–दुर्ग ।**
➢ ए.सी.सी. द्वारा जो लाईम स्टोन माइन संचालित करना चाहती है, कंपनी वायु प्रदूषण की सुरक्षा, वृक्षारोपण आदि को ध्यान में रखकर संचालित करे।
➢ कंपनी द्वारा तालाब का गहरीकरण कराई जाये।
➢ मेडिकल शिविर की सुविधा उपलब्ध कराती रही है।
➢ ए.सी.सी. द्वारा गांव में सीमेण्टीकरण कराया गया है।

- स्कूल में बेल्ट, टेबल, खुर्सी, पंखा, कपड़ा वितरण कराया गया है।
- ए.सी.सी. माइन द्वारा गांव में विकास की गंगा बहाया गया है।
- कंपनी द्वारा गांव को पूरा सहयोग दिया गया है।

6. **श्री अजय शर्मा, मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग ।**
- ए.सी.सी. के अधिकारियों से पूरी तरह परिचित हूं। उनके द्वारा पूर्व में बहुत अच्छे कार्य किये गये हैं। उनके द्वारा गांव में सिलाई प्रशिक्षण का कार्य करवाया गया था।
- ए.सी.सी. कंपनी द्वारा किसानों को कृषि हेतु प्रोत्साहित किया गया।
- मैं संकुल समन्वयक शासकीय कर्मचारी हूं।
- मैं वृक्षारोपण की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस पर विशेष ध्यान दिया जाये।
- हमें पेयजल के लिये जुझना पड़ता है। गांव में जो टंकी बनाई गई है वह छोटी पड़ती है, टंकी बड़ी बनाई जाये।
- बाधा रहित शिक्षा की बात करते हैं अर्थात् सभी बच्चे पढ़ने आ सके। माध्यमिक शिक्षा के बाद हाईस्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं। लेकिन सड़क जर्जर है। यदि ए.सी.सी. प्रबंधन जर्जर सड़क को सुधार करने का कार्य करे तो अच्छा होगा।
- ग्राम सगनी में आदर्श स्कूल बनाया जा रहा है, जिसमें आहाता निर्माण की आवश्यकता है। जिसे कंपनी बनाने में सहयोग दे।

7. **श्री राधेश्याम पटेल, सहगांव, पथरिया, जिला–दुर्ग ।**
- कंपनी द्वारा पानी की व्यवस्था की जाये।
- ईलाज की व्यवस्था की जाये।
- शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
- हम कम पढ़े लिखे लोग हैं। इस कारण कंपनी के लोग हमें परेशान करते हैं।
- खदान खुलने से धूल मिट्टी अधिक उड़ रही है।
- ए.सी.सी. कंपनी हमारे गांव के लिये कुछ भी सहयोग नहीं किया है।
- ए.सी.सी. का मेन खदान हमारे सहगांव के अंतर्गत आता है।
- मैं ए.सी.सी. कंपनी खुलने का विरोध करता हूं।

8. **श्री झाडूराम साहू, पथरिया, जिला–दुर्ग ।**
- ए.सी.सी. कंपनी द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। उनकी जमीन खरीदा जा रहा है।
- गांव में पानी की कमी है। बिजली की व्यवस्था भी नहीं है।

9. **श्रीमती ज्ञानेश्वरी साहू, मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग ।**
- ए.सी.सी. हमारे गांव में अच्छा काम कर रही है।
- पहले मैं बिल्कुल असहाय थी। कंपनी द्वारा हमें सिलाई मशीन बांटे और पूरा सहयोग किया।
- आज मैं स्वयं सिलाई के माध्यम से 5000 रूपये प्रतिमाह घर बैठे कमाती हूं।

10. श्री सुखराम साहू पथरिया, जिला–दुर्ग ।

- कंपनी सन् 1971 से खुला है, लेकिन गांव में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है।
- किसान रो रहा है। बरसात में पानी खेत में चला जाता है, किसान अपने खेत का पानी नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि ए.सी.सी. कंपनी वाले मना कर देते हैं।
- ये ब्लास्ट भी करते हैं जिस कारण हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते।
- ब्लास्टिंग के समय ये धान भरी गाड़ी रोक देते हैं। आवागमन अवरूद्ध हो जाता है।

11. श्री पूनाराम साहू, पथरिया, जिला–दुर्ग ।

- हम सब मिलकर संसार बनाये हैं। लेकिन ए.सी.सी ने हमकों क्या बनाकर दिया ?
- ए.सी.सी. कंपनी द्वारा बोरिंग नहीं खुदवाया गया है।
- केन्द्रीय सरकार का नियम है कि गांव में विकास कार्यो में कंपनी को 5 प्रतिशत राशि देना चाहिये, लेकिन 1 प्रतिशत भी इनके द्वारा नहीं दिया गया है।
- हमने भिलाई, जामुल बनाया। लेकिन हमारा विकास नहीं हुआ।
- ए.सी.सी. कंपनी बी.एस.पी. की जमीन को अपने नाम कर लिया। ये कैसे हुआ नहीं मालूम। इसकी जांच कराई जाये।

12. श्रीमती अंजली टंडन, पथरिया , जिला–दुर्ग ।

- ए.सी.सी. द्वारा जो ब्लास्टिंग किये जाते हैं, ब्लास्टिंग से निकले पत्थर बच्चे को लगती है। खदान में गहराई होने से बोरिंग की पानी नीचे चली गई है।
- ब्लास्टिंग से दीवारों में दरार पड़ गये हैं।

13. श्री चंद्रशेखर साहू, पथरिया, जिला–दुर्ग ।

- मैं दो एकड़ का किसान हूं। जिस जमीन पर खेती होता है, उस जमीन को किसान ही खरीद सकता है। लेकिन ए.सी.सी. किस प्रकार खेतीहर जमीन खरीद रहा है ?
- कंपनी द्वारा 5–6 साल में स्वास्थ्य शिविर लगा देने से कुछ नहीं होता है।
- जमीन न होने से बच्चों के पालन पोषण में दिक्कत आ रहा है।
- सिर्फ प्रशिक्षण देकर सिलाई मशीन दे देने से समस्या हल नहीं हो जाती है।
- शिक्षा की व्यवस्था हो।

14. श्री विवेक विदेशी कश्यप, मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग ।

- यह जनता का दरबार है। यहां सबको बोलने का अधिकार है।
- ए.सी.सी. लाईम स्टोन माईन क्षमता–0.6 मिलियन टन/वर्ष से 0.84 मिलियन टन/वर्ष, माईनिंग लीज एरिया–36.001 हेक्टेयर में विस्तार करने का चल रहा है। मेरे हिसाब से यह तर्कसंगत नहीं है। क्या भारी मात्रा में दोहन नहीं होगा ?
- 0.84 मिलियन टन/वर्ष बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
- ए.सी.सी. बोलती है कि मैंने ये काम कराया, वो काम कराया।
- मेड़ेसरा में लगभग 10 वर्षो से सिलाई कढ़ाई का कार्यक्रम कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है।

- ए.सी.सी. के तरफ से जो प्रोफाईल दिया गया है, जिसमें 10 लाख खर्च करने का है। मेड़ेसरा में इतनी राशि खर्च होते नहीं देखा गया है और ना ही 05 लाख सामुदायिक विकास में खर्च होते देखा है।
- ए.सी.सी. कंपनी को समर्थन नहीं दिया जाना चाहिये।
- रोजगार के क्षेत्र में लोगों को पथरिया, नंदिनी खुंदनी, मेड़ेसरा के लोगों को दिया है तो गांव वालों को बताये।
- विगत वर्षो से कोई भर्ती नहीं की गई है। ए.सी.सी. से पूंछना चाहता हूं।
- ए.सी.सी. जामुल में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाल चुका है।
- उनके द्वारा भर्ती प्रकिया अभी तक नहीं चलाया गया है।
- पर्यावरण असंतुलन हो रहा है। विगत योजना के तहत क्या कंपनी पर्यावरण असंतुलन से राहत दिला सकती है।
- जे.के.लक्ष्मी द्वारा एनीकट खोल दिया गया है। सभी हेण्डपंप सूख गये हैं। क्या ठगा नहीं जा रहा है। यह क्षेत्र प्रदूषण से भरा रहता है।
- ग्राम–नंदिनी खुंदनी, मेड़ेसरा, पथरिया का जल स्तर नीचे चला गया है। बोरिंग सूख गया है। गांव के लोग इसका कारण पूछना चाहते हैं।
- आप स्वयं जाकर हेण्डपंप को देख सकते हैं।
- सहगांव से आने पर हम धूल डस्ट से भर जाते हैं।
- क्षेत्र में खदान होने से जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं उनके कपड़े धूल डस्ट से सना रहता है। उस गांव में कोई काम नहीं हुआ है।
- गांव में सीमेण्टीकरण–डामरीकरण नहीं हुआ है।
- कंपनी फैक्ट्री लगाकर मापदण्ड में खरा नहीं उतर पाते हैं।

15. श्री दशरथ चक्रधारी, पथरिया, जिला–दुर्ग ।

- यहां ग्राम–मेड़ेसरा, सहगांव वाले सभी अपने विचार रखे, मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन मैं भी कंपनी में कार्य कर चुका हूँ।
- ए.सी.सी. कंपनी द्वारा दुर्गा माता मंदिर बनवाया गया है।
- रोड़ का निर्माण कराया गया है। पानी की टंकी बनवाई गई है।
- तालाब खनन करवाया गया है और पेड़ लगवाया गया है।

16. श्री शिव कुमार पटेल, पथरिया, जिला–दुर्ग ।

- मैं छोटा सा किसान हूँ। आज किसान की समस्या बताना चाहता हूं।
- यहां बहुत बड़ा खदान है।
- एनीकट को खोल दिया गया है।
- किसान के हेण्डपंप से पानी नहीं निकल रहा है।
- डेम को बन्द करायें।
- ए.सी.सी. कंपनी सबको लूट रहा है।
- हाथ जोड़कर निवेदन है कि ए.सी.सी. नाममात्र का काम यहां करा रही है, वह भी छोटा मोटा काम। ठोस काम उनके द्वारा अब तक नहीं किया गया है।
- कंपनी दो पैसे की चीज स्कूल में बंटवा देती है।

- ग्राम–पथरिया, नंदिनी, सहगांव में कोई विकास काम नहीं हुआ है।
- कंपनी के द्वारा कुछ लोगों को डराया, धमकाया जा रहा है। उनके दलाल यहां बैठे हुए हैं।
- गांव के लोग ए.सी.सी. के भूल भुलैया में ना आये।

17. श्री लखन लाल साहू, पथरिया, जिला–दुर्ग ।

- यहां बड़े लोग बैठे हैं। सभी मुंझे पहचानते हैं।
- कुछ आदमी बोले हैं, वह ठीक ही बोले हैं।
- ए.सी.सी. कंपनी पथरिया गांव को गोद नहीं लिया है, केवल नाममात्र कहा है।
- यहां डाक्टर, बिजली की आवश्यकता है।
- इनके द्वारा यहां पर एक पैसे का काम नहीं किया गया है।
- आज पथरिया से सोना जा रहा है।
- इनके द्वारा हमें चार आना का चाकलेट देकर भुलवार दिया जाता है।
- पानी की व्यवस्था नहीं कराई गई है। सरपंच के घर में बोर खुदवाया गया।
- इनके द्वारा बाहर क्षेत्र में करोड़ों का काम हुआ है।
- कंपनी को सबको देखना है, किसी एक को नहीं देखना है।
- कंपनी द्वारा हमारे गांव के लिये कुछ भी नहीं किया है। हमारा गांव लावारिस है। ये हमारे लिये क्या किये।
- यहां कई जी.एम. आये और कई जी.एम. घोषणा कर चले गये और 10 लाख की घोषणा कर उस पर कुछ काम नहीं करवाये ना ही भवन बनवाये।

18. श्री पूनाराम साहू, पथरिया, जिला–दुर्ग ।

- कंपनी 200 ट्रक रोज निकालता हैं, इसकी रायल्टी की जांच सी.बी.आई. से होनी चाहिये।

19. श्री भगत शर्मा, पथरिया, जिला–दुर्ग ।

- मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांव में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाये ना की आश्वासन दी जाये।
- सन् 1998 में तालाब की सफाई की गई थी और उसके बाद आज तक उसकी सफाई नहीं की गई है। वार्ड–09 की 17 सालों सफाई नहीं की गई है।
- मेरे गांव में बिजली की व्यवस्था भी ठीक नहीं है।
- सहगांव में सड़क व्यवस्था नहीं हुई है। केवल आश्वासन दिया जाता है।
- स्कूल की व्यवस्था नहीं की गई है।
- किसान बंधु धूल डस्ट के शिकार हो रहे हैं इस पर ध्यान दिया जाये।
- खदान से 70 एकड़ रकबा धूल का शिकार हुआ है उस पर ध्यान दिया जावे।

20. श्री दिनेश कुर्रे पिता संतूराम, पथरिया, जिला–दुर्ग ।

- आज की जनसुनवाई के तहत मैं ए.सी.सी. कंपनी को पूंछना चाहता हूं कि ग्राम–मेड़ेसरा, पथरिया में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है। हम लीज क्यों दें, किसलिये दें।

- ग्राम पथरिया व आसपास के गांव को गोद लिया है। ए.सी.सी. ने क्या किया है।
- कंपनी को एन.ओ.सी. देने की बात का मैं विरोध करता हूं।
- पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं दी गई है।
- सी.सी. रोड़ नहीं बना है।

21. श्री दशरथदास वैष्णव, पथरिया, जिला–दुर्ग ।

- ग्राम–पथरिया हमारा आदर्श ग्राम है।
- उच्च शिक्षा की व्यवस्था व्यवस्था नहीं है।
- गंदी पानी गांव में फैला हुआ है।
- गांव में नाली की व्यवस्था नहीं है। कंपनी द्वारा उच्च शिक्षा व नाली की व्यवस्था किया जाये।

22. पुनः उद्‌बोधन श्रीमती उषा केसरा, मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग ।

- हमारा देश कृषि प्रधान देश है।
- इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा।
- कंपनी यदि गांव में जगह मांग रहा है, तो बिना परमिशन के नहीं मांग रहा है।
- आप दलालों को जमीन दे देते हो।
- इंसान अपनी धरती माता को बेचकर गौमाता के लिये चारा लाता है।
- चारागाह के लिये जगह कम हो गई है।
- पर्यावरण दूषित हो रहा है।
- किसान अपने खेत का पेड़ कांट रहे जिससे पानी बरसता है।
- बारिश नहीं हो रहा है।
- जल स्तर नीचे चला गया है।

23. श्री वीरेन्द्र कुमार सोनी, पूर्व सरपंच, पथरिया, जिला–दुर्ग ।

- मैं 10 साल से गांव का सरपंच रह चुका हूं।
- कंपनी द्वारा हमारी जमीन खरीदी गई।
- हमारे द्वारा कंपनी को वर्षो पहले 1000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे द्वारा बेचा गया, जिसकी कीमत आज 10 करोड़ है।
- मेरा दो लड़का है, वे दोनों लड़के इंजीनियर हैं।
- आज हम ए.सी.सी. को समर्थन दिये हैं।
- कंपनी में ब्लास्टर का पद निकला था। जब वहां मैं गया तो कंपनी वाले बाहर के लोगों को सर्विस दे दिये थे।
- मेरे दोनों लड़कों को ए.सी.सी. कंपनी में नौकरी मिलनी चाहिये।

24. श्रीमती रेवती ठाकुर, पंच वार्ड–06 पथरिया, जिला–दुर्ग ।

- बारिश के समय छत से पानी टपकता है।
- मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं।
- कंपनी द्वारा रोड़ बाहरी ठेकेदारों से बनवाया गया है।

- पानी के लिये हम रात में 2–3 बजे उठकर पानी भरते हैं।
- कंपनी जो भी काम करवाये वो हमारे गांव के आदमियों से करवाये। बाहर के लोगों से नहीं।

25. श्री चंद्रिका प्रसाद साहू, सरपंच, पथरिया, जिला–दुर्ग ।
- मैं सबका स्वागत करना चाहता हूं।
- ए.सी.सी. कंपनी आश्वासन न दे काम करके दिखाये।
- विकास हम खुद कर लेंगे। ए.सी.सी. को भगा सकते हैं।

26. श्रीमती रजनी टंडन, पंच, पथरिया , जिला–दुर्ग ।
- गांव की गली में कीचड़ न फैले इसलिये नाली बनाना चाहिये।
- कंपनी द्वारा बोरिंग बनाना चाहिये।

सुनील जैन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों पर उद्योग प्रतिनिधि को अपने विचार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित किया गया। तत्पश्चात् उद्योग प्रतिनिधि श्री एच.एस. राठौर, एक्टिंग डायरेक्टर, प्लांट मे0 ए.सी.सी. जामुल सीमेण्ट वर्क्स, जामुल जिला–दुर्ग द्वारा लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों के संबंध में जानकारी दी गई जो निम्नानुसार है :–

- कंपनी द्वारा करीब 4–5 साल में कांक्रीट रोड़ का निर्माण कार्य कराया गया है।
- पंचायत से प्रस्ताव आने के बाद हमारे द्वारा काम करवाया गया है।
- शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कंपनी द्वारा लगभग 20 बच्चों को स्कालरशिप दिया गया है।
- जल समस्या का निराकरण करने हेतु पंचायत से मुलाकात कर अपने विचार रखा गया।
- ग्रीनबेल्ट के संबंध में हमारे कंपनी द्वारा की जायेगी।
- गांव के लोगों को दूर से पानी लाना पड़ रहा है, पानी की टंकी छोटी है, जैसी समस्याओं से जल्द छुटकारा दिलाया जायेगा।

लोक सुनवाई के दौरान दिनांक 13 मार्च 2015 दिन शुक्रवार को लिखित में 02 आवेदन मौके पर प्राप्त हुआ। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	आवेदनकर्ता का नाम	आवेदन का विषय
1.	श्री चंद्रिका प्रसाद, सरपंच, ग्राम पंचायत पथरिया (सह.) विकासखण्ड धमधा जिला–दुर्ग (छ.ग.)।	मे0 ए.सी.सी. लिमिटेड जिला दुर्ग (छ.ग.) ग्राम पथरिया (सह.) तह–धमधा में प्रस्तावित लाईम स्टोन माईन (36.001 हे0) क्षेत्र में खनन के लिये लोक सुनवाई में घोर आपत्ति बाबत्।
2.	श्री विरेन्द्र कुमार सोनी आ0 सीताराम सोनी, ग्राम–पथरिया, जिला–दुर्ग (छ.ग.)।	दिनांक 13 मार्च 2015 को ग्राम पथरिया में जन सुनवाई हेतु आवेदन पत्र।

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनों में से कुल 57 लोगों ने हस्ताक्षर किये गये। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

सुनील जैन, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 12.50 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

(अजय गेडाम)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

(सुनील जैन)
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
जिला–दुर्ग